174/24 गोविन्दी ग्राम

26/3/24 प्रार्थिनी ने ग्राम पंचायत [illegible] में [illegible] की भूमि [illegible] की जाती है प्रार्थिनी [illegible] दिनांक 29/10/24 को पेश की

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

29/10/24 प्रार्थनीय श्री [illegible] ग्राम पंचायत [illegible] पूर्व [illegible] का विस्तारण किया जा चुका है इस नि:र [illegible] आगे [illegible] जाने का कोई औचित्य नहीं होने से खारिज किया जाता है प्रार्थनी केवल [illegible] के बाद [illegible] दायर [illegible]

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2025.04.30 15:48:34 IST
Reason: SelfAttested